



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./आ.कु./एपीओ/17/ 2640

जयपुर दिनांक-

30/6/17

:- आदेश :-

श्री आनन्द कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, सम जिला जैसलमेर को विभागीय आदेश क्रमांक 1367 दिनांक 10.4.17 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में कर मुख्यालय पंचायती राज किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सम ने उनके आदेश दिनांक 11.4.17 द्वारा कार्यमुक्त किये जाने पर श्री आनन्द कुमार द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4510/2017 दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में दिये आदेश दिनांक 12.5.17 में दिये निर्देशों की अनुपालना में श्री आनन्द कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा) का जिला परिषद, जालौर में सहायक अभियन्ता (सीडी) के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है।

श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियन्ता (मनरेगा) तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से भिजवायेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


( राजेन्द्र शेखर मक्कड )

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. जिला कलैक्टर, जैसलमेर/जालौर।
4. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर/जालौर।

5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सम मुख्यालय जैसलमेर को उनके पत्र क्रमांक पं.स.स/कार्मिक/2017/1632 दिनांक 19.5.17 के संदर्भ में ।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्री आनन्द कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, सम जिला जैसलमेर ।
8. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव